बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

का0आ0सं0:- 08/अ0प्र0-08-03/2020 249 पटना, दिनांक 15/7/24

कार्यालय आदेश

अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय जॉच समिति की दिनांक-07.03.2024 को आहूत बैठक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5547 दिनांक-03.07.2019, संकल्प ज्ञापांक-512 दिनांक-17.01.2020 एवं एतद् विषयक समय-समय पर यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों/संकल्पों में संसूचित प्रावधानों/निर्णयों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के वैसे कार्यभारित कर्मियों, जो दिनांक-11.12.1990 या उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए तथा बिना नियमित हुए कार्यभारित स्थापना में ही सेवानिवृत/मृत हो चुके है, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य किये जाने के मामले पर नियमानुसार विचार किया गया।

2. तद्नुसार समिति द्वारा जॉचोपरांत की गयी अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं0-5547 दिनांक-03.07.2019 एवं एतद् विषयक समय-समय पर वित्त विभाग/सरकार द्वारा यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों/संकल्पों में संसूचित प्रावधानों के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के निम्नलिखित कार्यभारित स्थापना के मृत/सेवानिवृत कर्मियों को प्रावधानानुसार, वांछित अर्हत्ता पुरी करने पर उन्हें मृत्यु/सेवानिवृति की तिथि से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित/समायोजित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/ पदनाम	जन्म-तिथि	कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि/ योगदान की तिथि	संबंधित प्रमंडल का नाम	कार्यभारित स्थापना में कुल सेवा अवधि	नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	सेवानिवृति /मृत्यु की तिथि	आरोप की स्थिति	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री श्यामानन्द झा/ कार्यभारित पथ बेलन खलासी	14.07.1948	20.12.1983 01.01.1984	ग्रा0का0 विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी	24 वर्ष 06 माह	अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल, दरभंगा	31.07.2008	लागू नहीं	श्री श्यामानन्द झा की सेवा उनकी सेवानिवृति की तिथि 31.07.2008 से नियमित सेवा में समायोजन योग्य।
2	स्व0 विनोद नारायण झा/ कार्यभारित पथ वेलन खलासी	05.09.1970	20.05.1989	ग्रा0का0 विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी	22 वर्ष	अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल, दरभंगा	03.05.2011	लागू नहीं	स्व0 विनोद नारायण झा की सेवा उनकी मृत्यु की तिथि-03.05.2011 से नियमित सेवा में समायोजन योग्य।
3	स्व0 बच्चा जी सिंह/ कार्यभारित पीकप भान खलासी	31.08.1953	23.08.1980	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, सहरसा	29 वर्ष 6 माह	कार्यपालक अभियंता, याजना एवं अन्वेषण प्रमंडल लो0नि0वि0, पटना	14.03.2010	लागू नहीं	स्व0 बच्चा जी सिंह की सेवा उनकी मृत्यु की तिथि-14.03.2010 से नियमित सेवा में समायोजन योग्य।

3. इन्हें वित्त विभागीय सकल्प सं0-5547 दिनांक-03.07.2019 की कंडिका-05 में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न सुविधायें अनुमान्य होगीः-

(i) पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवांत लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) इन्हें पेंशन परिगणना हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 के समतुल्य प्रत्येक पॉच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूतम् पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नही हो तो, उस हद तक न्यूनतम् सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(iii) इनके संबंध में पुरानी पेंशन योजना के लिए अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(iv) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत कार्यभारित कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(V) इन कर्मियों को ए0सी0पी0 के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना नहीं की जायेगी। परन्तु दिनांक-01.01.2009 एवं दिनांक-17.10.2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को एम0ए0सी0पी0 के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवावधि की गणना की जा सकेगी।

4. सक्षम/नियंत्री प्राधिकार द्वारा इन कर्मियों को संकल्प सं0-5547 दिनांक-03.07.2019 के अनुसार देय लाभों को अनुमान्य/भुगतान करने के पूर्व वांछित अर्हत्ताओं, सेवापुस्त, आरोप की स्थिति आदि की सम्यक जॉच कर लेंगे एवं जॉचोपरांत वांछित अर्हत्ताओं आदि के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो अनुमान्य किये जानेवाले लाभों आदि को प्रभावित करता हो तो, नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-08/अ0प्र0-08-03/2020 3884 पटना, दिनांक- 15/7/24

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

(Rina). कार्यालय आदेश

ज्ञापांकः-08/अ0प्र0-08-03/2020 3884 पटना, दिनांक-15/7/24

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को निदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित कर्मियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

11/07/24

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-08/अ0प्र0-08-03/2020 3884 पटना, दिनांक-15/7/24

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/24

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

(Rina). कार्यालय आदेश